उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007	**क्षेत्रीय कार्यालय:** एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201310

Website: www.up-rera.in, **E-mail:** contactuprera@up-rera.in

X: https://x.com/UPRERAofficial

Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial

Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial

यूपी रेरा ने शुरू की नई सुविधा, गलत खाते में भुगतान लेने वाले प्रमोटरों की दे सकेंगे सूचना

दिनांक: 02-09-2025

लखनऊ/गौतमबुद्धनगरः उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने अपने आधिकारिक वेब पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से आवंटियों को यह सुविधा मिलेगी कि यदि कोई प्रमोटर परियोजना के घोषित कलेक्शन अकाउंट के अलावा किसी अन्य खाते में धनराशि जमा करता है, तो वे तुरंत उसकी सूचना दर्ज करा सकें। इस सुविधा का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

यूपी रेरा ने प्रमोटरों द्वारा परियोजनाओं के खातों के संचालन और रखरखाव को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, प्रमोटर को केवल उसी परियोजना के कलेक्शन अकाउंट में धनराशि प्राप्त करनी होगी। यह भी अनिवार्य है कि प्रमोटर इस खाते का विवरण रेरा की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें ताकि घर खरीदारों को स्पष्ट जानकारी मिल सके। इसके अलावा, प्रमोटर को यह विवरण हर प्रचार सामग्री और खरीदारों से साझा किए जाने वाले दस्तावेजों—जैसे बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट, डिमांड नोटिस और ब्रोशर—में भी देना होगा।

इस व्यवस्था के अंतर्गत, कलेक्शन अकाउंट में जमा राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रतिदिन स्वतः एस्क्रो अकाउंट में स्थानांतरित हो जाता है और उसका उपयोग केवल परियोजना के विकास कार्यों में किया जा सकता है। इससे परियोजना की समय पर पूर्णता और आवंटियों को यूनिट्स की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होती है।

स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद, यूपी रेरा के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जहां कुछ प्रमोटर इन नियमों का उल्लंघन कर खरीदारों से अनधिकृत खातों में भुगतान ले रहे हैं। यह न केवल नियामकीय निगरानी को कमजोर करता है, बल्कि घर खरीदारों को आर्थिक जोखिम में भी डालता है। इस स्थिति को देखते हुए यूपी रेरा ने अपने पोर्टल पर एक विशेष सूचना दर्ज करने की सुविधा शुरू की है, जहां आवंटी ऐसे उल्लंघनों की शिकायत दर्ज

करा सकते हैं। सूचना प्राप्त होने पर, यूपी रेरा मामले की पूरी तरह जांच करेगा और दोषी प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

यूपी रेरा के चेयरमैन श्री संजय भूसेरेड्डी ने कहा:

"यूपी रेरा का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी और भरोसेमंद रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना है। परियोजना का कलेक्शन अकाउंट इसी दृष्टि का आधार स्तंभ है, जिससे यह गारंटी होती है कि घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि केवल संबंधित परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाए। कुछ प्रमोटरों द्वारा इस प्रणाली का दुरुपयोग अस्वीकार्य है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवंटियों को सीधे यूपी रेरा वेबसाइट के माध्यम से सूचना देने का अधिकार देकर, हम अपने नियामकीय तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश दे रहे हैं। हम सभी हितधारकों, विशेषकर घर खरीदारों, से अपील करते हैं कि वे इस सुविधा का सक्रिय रूप से उपयोग करें और अपने निवेश को सुरक्षित बनाएं।"

यूपी रेरा ने दोहराया है कि वह अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही घर खरीदारों से सतर्क रहने की अपील की है। यदि उनसे किसी अन्य खाते में भुगतान करने के लिए कहा गया है, तो वे तुरंत नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके सूचना दर्ज करें।

लिंक: https://www.up-rera.in/frm_OtherAccount_DetailsofProject.aspx